सी.टी.वी. नेटवर्क लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 148, मानस नगर शाहगंज, आगरा–282010

दूरभाष– 0562–4036666 फैक्स– 0562–2511070

वेबसाइट - www.seatvnetwork.com

सीआईएन - L92132UP2004PLC028650

१३ वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना, बुक क्लोजर, कट ऑफ तिथि– ई–मतदान जानकारी

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 13वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25 सितंबर 2017 दिन शुक्रवार को दोपहर 2.00 बजे होटल ताज इन 18/163, B/4 फतेहाबाद रोड, ताज व्यू क्रॉसिंग बसई, आगरा– 282001 उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी।

उसमें निष्पादित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों में शामिल सभा की सूचना तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षित वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है। साधारण सभा की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.seatvnetwork.com पर भी उपलब्ध है तथा उक्त नोटिस की प्रति तथा वार्षिक रिपोर्ट भी निरीक्षण के लिए कंपनी के पजीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को व्यवसायिक अवधि के दौरान उपलब्ध होंगे। कंपनी ने नोटिस तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट का प्रेक्षण कार्य दिनांक 31 अगस्त 2017 को पूरा कर लिया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (लिस्टिंग ऑबलीगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम 2015 के अधिनियम 44 एवं साधारण सभा पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के प्रावधानों के अनुपालन में आपकी कंपनी द्वारा 13 वीं वार्षिक साधारण सभा में निष्पादित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने सदस्यों को सहर्ष रिमोट ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनी ने www.evotingindia.com पर सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस. एल.) के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा 22 सितंबर 2017 दिन शुक्रवार को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी तथा दिनांक 24 सितंबर 2017 दिन रविवार को शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) पर समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद सी.डी.एस.एल. द्वारा रिमोट ई–वोटिंग रोक दी जाएगी। ऐसे सदस्य जिनके नाम कट ऑफ तिथि 18 सितंबर 2017 को सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हैं, वे ही रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के साथ–साथ सभा में भौतिक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि एक बार मतदान हो जाता है तो वह बाद में बदला नहीं जा सकता। कट ऑफ तिथि पर कंपनी के अंश पूंजी में धारित भाग के अनुपात में ही मतदान का अधिकार होगा।

यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारक बनते हैं, यदि वे पहले से सी.डी.एस.एल. में पंजीकृत हो तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं अथवा सभा की सूचना में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रिया का अनुपालन करे जो कि कंपनी की वेबसाइट www.seatvnetwork.com पर उपलब्ध है या निम्नलिखित वेबसाइट पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं– helpdesk@cdslindia.com में या कंपनी के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड mumbai@linkintime.co.in में 21 सितंबर 2017 के साथ 5.00 बजे तक कर सकते हैं

स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिए कंपनी ने श्री अमित गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मतदान के परिणामों की घोषणा वार्षिक साधारण सभा के बाद की जाएगी।

ई–वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा /शिकायतों के लिए सदस्य helpdesk@cdslindia.com टोल फ्री दूरभाष संख्या 1800 200 5533 अथवा www.evotingindia.com से संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.seatvnetwork.com और सी.डी.एस.एल. की वेबसाइट www.evotingindia.com पर प्रदर्शित किया गया है।

एतद द्वारा सूचित किया जाता है की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 एवं सेबी (लिस्टिंग ऑबलीगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम 2015 के अधिनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 19 सितंबर 2017 से 25 सितंबर 2017 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। वार्षिक साधारण सभा के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणामों की घोषणा अनुसंधान रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.seatvnetwork.com और सी.डी. एस.एल. की वेबसाइट पर रखा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा।

सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकते हैं तथा प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना जरुरी नहीं है। वैद्य होने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति करने वाले प्रपत्र सभा के आरंभ से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ।

स्थान : आगरा
दिनांक : 31–08–2017

नदेशक मण्डल के आदेश द्वारा
सी.टी.वी. नेटवर्क लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
वंदना राठौर
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)